designated as "Nodal" centres. Such Nodal centres have been formed by clubbing 3 to 4 dispensaries for purposes of specialists consultations.

Complaints are attended to as and when they are received.

Circular for Treatment of C.G.H.S. Beneficiaries in Authorised Private Hospitals

1733. SHRI PARMESHWAR KUMAR AGARWALLA: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that circular relating to treatment of C.G.H.S. beneficiaries in authorised Private Hospitals issued in June and September, 1996 have not yet been recieved in amny of C.G.H.S. dispensaries;

(b) whether Government have received any complaints in this regard;

(c) if so, what action has been taken on such complaints;

(d) whether Government will identify C.G.H.S. dispensaries which have not yet received requisite circulars and to ensure expeditious delivery of such circulars to those dispensaries; and

(e) whether Chief Medical Officer of C.G.H.S. dispensary is authorised to directly refer the beneficiaries to Private hospitals, if so, details of the procedure?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI SALEEM IQBAL SHERVANI): (a) to (d) The Circular relating to treatment of CGHS beneficiaries in authorised private hospitals has been circulated to all the CGHS dispensaries.

No complaint to this effect has been received from any of the dispensaries.

(e) Chief Medical Officer of the concerned CGHS Dispensary can accord permission to a pensioner beneficiray after he has obtained the written recommendation of the CGHS/Govt. specialist of the concerned speciality regarding the proposed line of treatment. The permission can be given only for private hospitals recongnised under CGHS.

सरकारी चिकित्सकों की निजी प्रैक्टिस पर प्रतिबंध

1734. **श्री दिलीप सिंह जूदेव:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में किन-किन राज्यों में सरकारी चिकित्सकों की निजी प्रैक्टिस पर प्रतिबंध लागू है और किन-किन राज्यों में छूट है;

(ख) राज्यों द्वारा निजी प्रैक्टिस पर प्रतिबंध लगाने के फलस्वरूप चिकित्सकों को दी जाने वाली अतिरिक्त राशि के भुगतान हेतु क्या केन्द्रीय सहायता दिए जाने का प्रावधान है;

(ग) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान इस उद्देश्य के लिये राज्यों द्वारा दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(घ) मध्य प्रदेश में चिकित्सकों की निजी प्रैक्टिस पर पहले लगाए गये प्रतिबंधों की असफलता से और वर्तमान में लगाए गये प्रतिबंध के कारण अनुभव की जा रही कठिनाईयों का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी): (क) से (घ) राज्य सरकारों से सरकारी सेवा में चिकित्सा कार्मिकों द्वारा निजी प्रैक्टिस की पद्धति को क्रमवार बंद करने के लिये अनुरोध किया गया था। सरकारी चिकित्सकों द्वारा निजी प्रैक्टिस करने पर प्रतिबंध संबंधी राज्यवार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, केन्द्रीय सरकारी चिकित्सकों को निजी प्रैक्टिस करने की अनुमति नहीं है। ऐसे चिकित्सकों को प्रतिपूर्ति के रूप में प्रैक्टिस बंदी भत्ता दिया जा रहा है। राज्य सरकारों को इस उद्देश्य के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करने की कोई योजना स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पास नहीं है।